05/25 सरकार बनाम रामहरि GCA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजं	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/5/26	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल रामहरि पुत्र मदनलाल माली निवासी खिलचीपुर, थाना कुण्डेरा के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना कुण्डेरा सवाई माधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीबद्व होना बताया है–	

मु.नं0	धारा	थाना	चार्जशीट नं. दिनांक	फैसला
113/25 24.05.25	13RPGO	कुण्डेरा	59 31.5.25	सजा दिनांक 08.08.25 सीजेएम स0मा0
52/24 03.03.24	13RPGO	कुण्डेरा	30 12.03.24	सजा दिनांक 19.03.24 सीजेएम स0मा0
89/23 24.04.23	13RPGO	कुण्डेरा	46 15.5.23	सजा दिनांक 31.05.23 सीजेएम स0मा0
514/10 29.10.10	दीगर	कोतवाली स0मा0	366 24.11.10	सजा दिनांक 10.12.10 सीजेएम स0मा0

गैरसायल आदतन जुआ खेलने का आदि है तथा रूपयों पैससो का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलता हुआ कई बार पकडा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है। उक्त गैरसायल को बार–बार जुंआ खेलते हुए गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्ध चालान पेश न्यायालय करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थ दण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक ओर जहां वह स्वयं को जुआ किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। वहीं अपने लाभ के लिए युवा पीढी को इस अपराध में धकेल रहा है जिसके कारण आम नागरिक उसके विरूद्ध ना साक्ष्य देना चाहता है और ना ही उसके भय के कारण स्वतंत्र रूप से शिकायत उच्चाधिकारियों को अथवा पुलिस को दे पा रहे हैं। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ मु.नं. 113/25, 52/24 एवं 89/23 की तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रति, न्यायालय निर्णय प्रतियां प्रस्तुत की है मु.नं. 514/10 के संबंध में पत्रावली में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है और ना ही अभियोग पत्र में उक्त मु.नं. 514/10 का विवरण अंकित है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि:–

- प्रार्थी अनपढ व्यक्ति है तथा मजदूरी का कार्य करता है जिससे अपना परिवार चलाता है।
- गुण्डा एक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के प्रारम्भ होने से ठीक पहले के छः महिनों की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर अपराधो या कृत्यों को करने का दोषी पाये जाने पर पेश होता है।
- प्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 08.08.2025, 19.03.24 एवं 31.05.2023 को दोषी ठहराया है जो 6 महिने की अवधि में नहीं होने के कारण गलत रूप इस्तगासा पेश किया है।
- प्रार्थी मजदूर है तथा उक्त प्रकरण में पुलिस ने साज कर गलत रूप से पेश किया है।
- प्रार्थी बाहर निष्कासन कर दिया तो प्रार्थी इकलौता कमाऊ पुत्र है जिससे परिवार के भूखा मरने की नौबत आ जाएगी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजं	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बहस के अन्त में गैरसायल द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि गैरसायल को मुकदमा नं0 113/25, 52/24 एवं 89/23 में अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0 ओ0 माननीय न्यायालय में तीन बार दोष सिद्ध कर अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा गैर सायल को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार कर अर्थ दण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। जो लोक व्यवस्था एवं लोक क्षेत्र के लिए घातक है। अतः गैरसायल को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनने एवं उस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, सबूतो, दस्तावेजो का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना कुण्डेरा में वर्ष 2023 (24.04.23), 2024 (03.03.24) एवं 2025 (24.05.25) में तीन प्रकरण पंजीबद्ध किये गये जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। यहां गैर सायल के विरूद्ध पंजीबद्ध अंतिम मुकदमा ही प्रशासनिक कार्यवाही (इस्तगासा या नोटिस) शुरू होने की तारीख से ठीक 6 महिने पहले की अवधि का है। इसका अर्थ यह है कि पिछले 6 महीनों के भीतर केवल 1 दोषसिद्धि हुई है (जबकि बाकी दो दोषसिद्धियां 1 साल और 2 साल पुरानी हैं) **इस विशिष्ट और तकनीकी परिस्थिति में, कानूनन गैरसायल को तुरंत "गुंडा" घोषित नहीं किया जा सकता।**

राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के कानूनी प्रावधानों में व्यक्ति को 13 RPGO के तहत कम से कम दो या दो से अधिक बार अदालत द्वारा दोषी सिद्ध ठहराया गया होना चाहिए, गैरसायल विगत 3 वर्षों में तीन बार दोषी सिद्ध हो चुका है इसलिए वह तकनीकी रूप से इस धारा की प्रारंभिक शर्त (न्यूनतम दो दोषसिद्धि) को पूरा करता है किन्तु गुंडा एक्ट की धारा 2 के अंत में दी गई स्पष्टीकरण (Explanation) आदतन अपराधी (Habitual offender) को परिभाषित करती है। जिसके अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई (इस्तगासा या नोटिस) शुरू होने की तारीख से ठीक 6 महीने पहले की अवधि के भीतर व्यक्ति ने कम से कम 3 बार अपराध कारित किया हो। उक्त प्रकरण में गैरसायल ने पिछले 3 वर्षों में प्रति वर्ष एक बार (कुल 3 बार) अपराध किया है। जिसमें अंतिम दोषसिद्धि इस्तगासा पेश होने से 4 माह पूर्व हुई है। इसका अर्थ यह है कि पिछले 6 महीनों के भीतर केवल 1 दोषसिद्धि हुई है (जबकि बाकी दो दोषसिद्धियां 1 साल और 2 साल पुरानी हैं)। चूंकि 6 महीने की तय अवधि के भीतर केवल एक ही सक्रिय दोषसिद्धि रिकॉर्ड पर है, इसलिए पुलिस द्वारा पेश किया गया यह इस्तगासा कानूनी रूप से कमजोर है। **संजय बनाम राजस्थान राज्य (2023)** तथा अन्य न्यायिक निर्णयों के अनुसार कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 'आदतन' या "सक्रिय" अपराधी साबित करने के लिए इस्तगासा पेश होने से ठीक पहले के 6 महीनों में अपराधों की निरंतरता (Frequency) होनी चाहिए। 1 या 2 साल पुराने शांत हो चुके मामलों को आधार बनाकर वर्तमान में किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने या उसे "जिला बदर" करने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। गैरसायल को केवल तभी इस अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से "गुंडा" माना जा सकता है जब पुलिस यह साबित कर दे कि पिछले 6 माह में गैरसायल ने जुए (13 RPGO) के अलावा धारा 2(b) में वर्णित कोई अन्य समाज–विरोधी कृत्य (जैसे शांति भंग, मारपीट या डराना, धमकाना) भी किया है। चूंकि गैर सायल के विरूद्ध पुलिस ऐसा सिद्ध करने में नाकामयाब रही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किया गया अभियोग–पत्र अस्वीकार किया जाकर गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही ड्राप की जाती है।

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर